

—बियालीस—

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या : क0नि0-5-3635 / ग्यारह-2004-500(136) / 2003 टी0सी0
लखनऊ, दिनांक 03 जुलाई, 2004
अधिसूचना
आदेश

प0आ0-234

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के अधीन किसी वास्तविक औद्योगिक प्रयोजन के लिए निष्पादित जंगम सम्पत्ति के स्थान्तरण विलेखों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 23 खण्ड (ख) के अधीन देय स्टाम्प शुल्क को स्तम्भ 2 में उल्लिखित सीमा तक कम करते हैं। यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

लिखत का वर्णन

1

यदि वह ऐसी जंगम सम्पत्ति से संबंधित है, जहाँ ऐसे हस्तान्तरण-पत्र के प्रतिफल की जैसा उसमें उल्लिखित हो, रकम या मूल्य 1,000 रुपये से अधिक न हो।
और प्रत्येक 1,000 रुपये या उसके भाग के लिए

कमी की सीमा

2

बीस रुपये से दो रुपये

बीस रुपये से दो रुपये

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
रीता सिन्हा,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following Government notification no. K.N. 5-3635/XI-2004-500(136)-2003 T.C. dated July 03, 2004 for general information:

K.N. 5-3635/XI-2004-500(136)-2003 T.C.

Lucknow, Dated July 03, 2004

Notification

Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to reduce the stamp duty payable in respect of the instrument of Conveyance of movable property payable under clause (b) of Article 23 of

Schedule 1-B of the said Act, executed for a bonafide industrial purpose under the Uttar Pradesh Industrial and Service Sector Investment Policy, 2004, mentioned in column 1, to the extent mentioned in column 2 of the Schedule below. This notification shall take effect from the date of its publication in the Gazette.

SCHEDULE

Description of instrument

Extent of reduction

1

2

If relating to movable property-where the amount or value of the consideration of such conveyance as set forth therein does not exceed Rs. 1,000

Twenty rupees to two rupees

And for every Rs. 1,000 or part thereof

Twenty rupees to two rupees

By order,
Sd/- Illegible
RITA SINHA,
Pramukh Sachiv.